

प्रेषक,

अशोक कुमार
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी

जनपद-अम्बेडकरनगर, बाराबंकी, बलरामपुर, कासगंज, सीतापुर, उन्नाव, गोरखपुर,
रायबरेली, प्रतापगढ़, हरदोई, फर्रुखाबाद एवं कौशाम्बी।

पंचायतीराज अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 16 अगस्त, 2013

विषय:-पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में केन्द्रीय सहायता प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या- 1621/33-3-13-127/2013 दिनांक 21.06.2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि बी०आर०जी०एफ० योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 की वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन जिला योजना समिति से प्राप्त कर कार्ययोजनाएं एवं अन्य सुसंगत अभिलेख यथा बैठक का कार्यवृत्त, उपभोग प्रमाण- पत्र, आडिट रिपोर्ट एवं प्रगति रिपोर्ट आदि परियोजना प्रबन्ध इकाई, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि को दिनांक 25.06.2013 तक प्रस्तुत कर दी जाए ताकि उसे परीक्षणोपरान्त भारत सरकार को प्रस्तुत किया जा सके।

समीक्षा के उपरान्त यह पाया गया कि अम्बेडकरनगर में रू० 13.39 करोड़, बाराबंकी में रू० 18.69 करोड़, बलरामपुर में रू० 11.21 करोड़, कासगंज में 10.49 करोड़, सीतापुर में 13.39 करोड़, उन्नाव में रू० 12.16 करोड़, गोरखपुर में रू० 9.41 करोड़, रायबरेली में रू० 8.17 करोड़ प्रतापगढ़ में रू० 8.66 करोड़, हरदोई में रू० 8.05 करोड़, फर्रुखाबाद में रू० 8.33 करोड़ तथा कौशाम्बी में रू० 8.83 करोड़ की स्वीकृतियों अवशेष हैं।

उल्लेखनीय है कि बी०आर०जी०एफ० योजना भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित योजना है जिसके अन्तर्गत योजना से आच्छादित पिछड़े जनपदों को क्रिटिकल गैप्स की पूर्ति के साथ अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु अतिरिक्त संसाधन प्राप्त होते हैं। वर्तमान वर्ष 2013-14 में भारत सरकार द्वारा आपके जनपद हेतु अनुमन्य केन्द्रीय सहायता तभी अवमुक्त की जाएगी जब जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजनाएं व अन्य वांछित अभिलेख/ विवरण भारत सरकार को समयान्तर्गत प्रस्तुत कर दिये जाएंगे।

अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने जनपद से संबंधित स्वीकृतियों तत्काल निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नक:यथोपरि।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 2256/33-3-13-127/2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मण्डलायुक्त, संबंधित मण्डल।

2. परियोजना निदेशक, पी०एम०यू०, बी०आर०जी०एफ०, उ०प्र०।
3. मुख्य विकास अधिकारी, जनपद अम्बेडकरनगर, बाराबंकी, बलरामपुर, कासगंज, सीतापुर, उन्नाव, गोरखपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, हरदोई, फर्रुखाबाद एवं कौशाम्बी।
4. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत अम्बेडकरनगर, बाराबंकी, बलरामपुर, कासगंज, सीतापुर, उन्नाव, गोरखपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, हरदोई, फर्रुखाबाद एवं कौशाम्बी।
5. पंचायतीराज अनुभाग-2
6. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से



(भरत लाल राय)
विशेष सचिव।